कार्यालय नगरपरिषद, हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांकः एफ 8 भूमि ( ) 2023/ 6433-34 दिनांक : 19/09/23

अधिवास प्रमाण-पत्र

नगरपरिषद, हनुमानगढ़ के द्वारा चक नं. 50 एनजीसी के मु.नं. 46 प.नं. 127/254 का किला नं. 13/0.116, 14/0.153, 16/0.030, 17/0.253, 18/0.084, 23/0.084, 24/0.253, 25/0.096 कुल रकबा 1.069 है. यानि कि 10690.00 स्कवेयर मीटर भूमि में श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी/आयुक्त नगरपरिषद हनुमानगढ़ के पत्रांक 6424 दिनांक 19.09.23 के द्वारा 90(क) की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर द्वारा क्रमांक 991 दिनांक 14/09/2023 के द्वारा इस भूमि का आवासीय प्लान स्वीकृत किया जा चुका है ले-आउट प्लान कमेटी की बैठक क्रमांक 6393 दिनांक 18.09.23 के द्वारा ले-आउट प्लान स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त भूमि पर कालोनाईजर/खातेदर द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सड़क, बिजली, पानी पार्क आदि प्रगति पर है तथा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य एन ओ सी बाबत कालोनाईजर द्वारा लिखित अण्डरटेकिंग लेते हुए यह कथन किया गया है कि नियत समयवधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक उनके भूखण्ड संख्या 587, 588, 617 कुल भूखण्ड संख्या 3 कुल क्षेत्रफल 9152.50 स्कवेयर फिट नगरपरिषद हनुमानगढ़ के पास रहन (प्लज) रहेंगे। नियत अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में रहनशुदा प्लाट नगरपरिषद द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कोलोनाईजरस/खातेदार ने स्वयं को पाबन्द किया है।

अतः उक्त तथ्यों अण्डरटेकिंग के आधार पर निम्न शर्तों के साथ अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

1. स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सुविधा क्षेत्र की चारदीवारी का निर्माण आदि स्वयं कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चा पर करवाये जायेंगे और इस सम्बन्ध में नगरपरिषद किसी प्रकार का कार्य एवं व्यय करने हेतु जिम्मेदार नहीं होगी।
2. कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चा पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एवं कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रकाशित किया जायेगा। इस आशय की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्वयं के व्यय में प्रकाशित करवाई जावेगी।
3. समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक ले-आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड संख्या 587, 588, 617 कुल भूखण्ड संख्या 3 कुल क्षेत्रफल 9152.50 स्कवेयर फिट नगरपरिषद हनुमानगढ़ के पास रहन (प्लज) रहेंगे। कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा ज्यों-ज्यों विकास कार्य पूर्ण करवाये जायेंगे परिषद द्वारा मौका निरीक्षण करवाकर विकास कार्यों के प्रमाणीकरण अनुसार रहनशुदा प्लाट त्यों-त्यों रहन मुक्त किये जायेंगे। नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नही होने की दशा में परिषद द्वारा रहनशुदा प्लाट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाया जा सकेगा।
4. सम्बन्धित कोलोनाईजर/खातेदार पर 100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर कोलोनाईजर द्वारा बन्धक रखे गये भूखण्डों के विरूद्ध बेचान आदि करने पर नगरपरिषद हनुमानगढ़ द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।
5. रहन रखे गये भूखण्डों के अलावा अन्य भूखण्डों को स्वीकृत प्लान के अनुसार बेचान करे तथा आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 100/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर कार्यालय में प्रस्तुत की जावे।

(मुहर: प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021, राजस्थान सरकार, न.प. हनुमानगढ़)

आयुक्त
नगरपरिषद, हनुमानगढ़
दिनांक :

क्रमांकः एफ 8 भूमि ( ) 2023/

प्रतिलिपि -

1. खातेदार/कॉलोनाईजर गुरलाल सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह, गुलाब सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एनजीसी, हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये रजिस्टर्ड मुख्तयारेआम विजय कुमार गोयल पुत्र श्री मेघराज गोयल निवासी हनुमानगढ़ जं तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. भूमि शाखा, नगरपरिषद को रहन रखे गये भूखण्डों का नियमन नहीं करने बाबत सूचनार्थ प्रेषित है।

आयुक्त
नगरपरिषद, हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

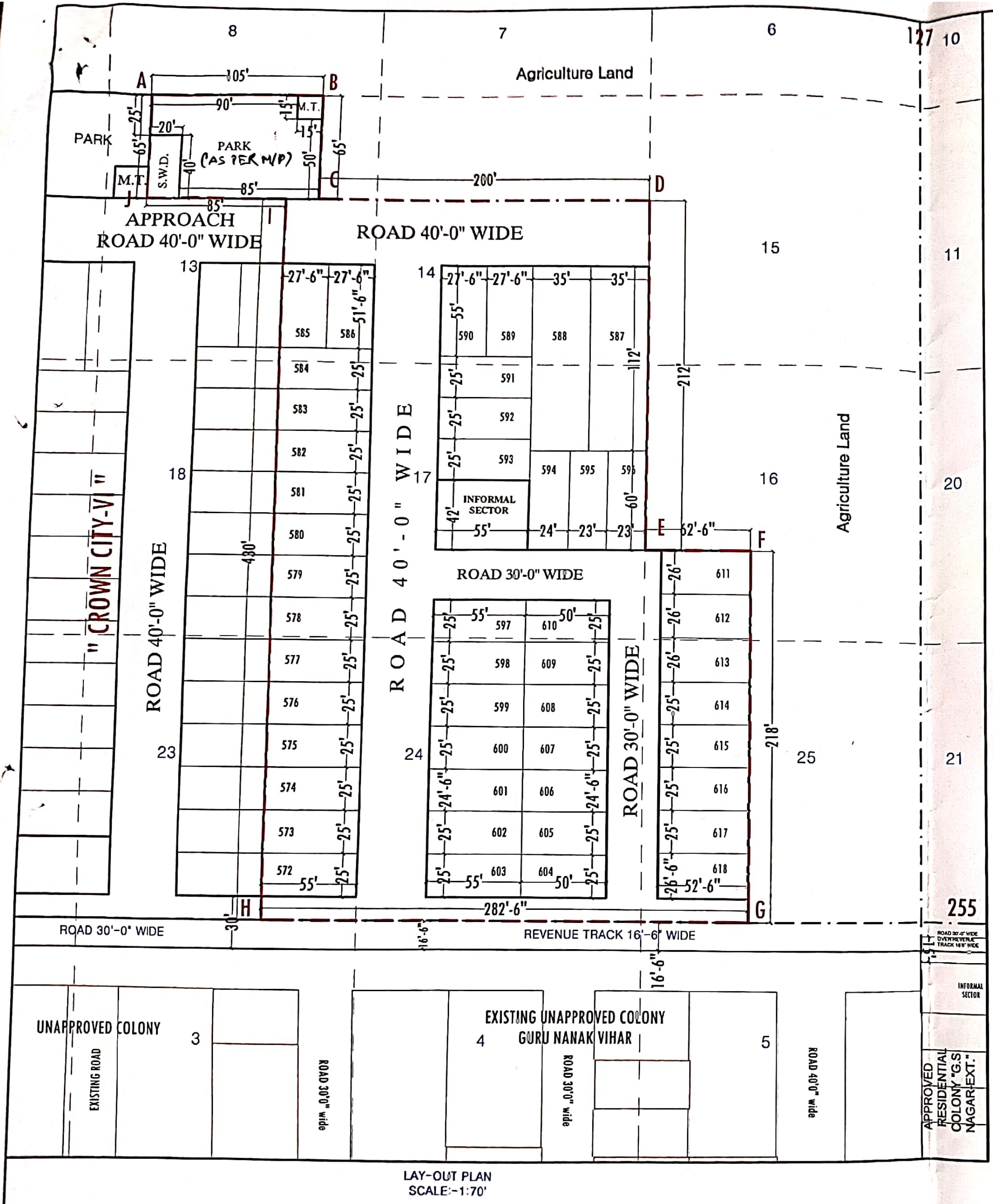

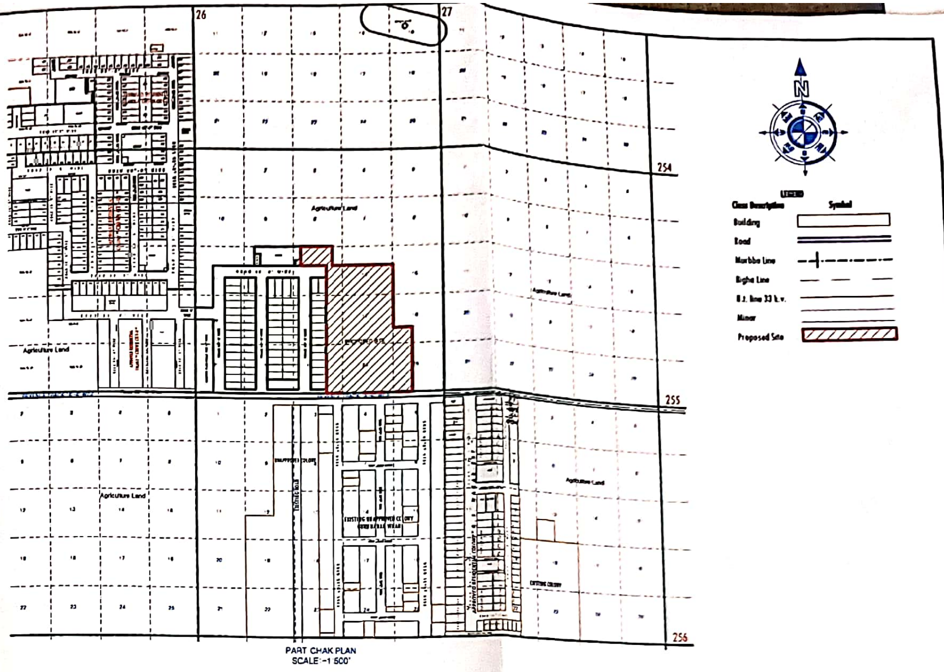

S.NO.	AREA ANALYSIS	AREA (SQFT.)	AREA (SQMT.)	AREA (SQYARD.)	%
1	RESIDENTIAL	68956.25	6406.13	7661.81	59.94
2	INFORMAL SECTOR	2310.00	214.60	256.67	2.01
3	PARK	5800.00	538.83	644.44	5.04
4	FACILITY/ M.T/S.W.D.	1025.00	95.22	113.89	0.89
5	ROAD	36958.75	3433.52	4106.53	32.12
6	TOTAL AREA	115050.00	10688.31	12783.33	100.00

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर परिषद हनुमानगढ़

OWNER'S TOTAL LAND:-
115050.00 SQFT. OR 1.069 HECTOR

सहायक नगर नियोजक
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

OWNER'S NAME:-
MR. GURLAL SINGH S/O MR. NIHAL SINGH
MR. GULAB SINGH S/O MR. NIHAL SINGH

P.O.A.:- Vijay Kumar Goyal S/O Mr. Meghraj Goyal

1. सैटबेक मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के अनुसार रखे जावें।
2. एच.टी. लाईन के नीचे आने वाले क्षेत्र को खुला रखा जावें।
3. भूमि के मौके पर माप, भू-स्वामित्व एवं न्यायिक वाद की जांच निकाय स्तर पर की जानी होगी।
4. समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र निकाय में निहित होगें।
5. सुविधा क्षेत्रों का निस्तारण/क्रियान्वयन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार किया जावें।
6. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व मौके पर पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जानी होगी।
7. स्वीकृत योजना में भूखण्ड संख्या का क्रम व्यवस्थित रूप से किया जावें।

आयुक्त
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

LAND USE & AREA ANALYSIS
CHECKED BY-

'A to J'

LAYOUT PLAN ~~BUILDING PLAN~~ TECHNICALLY
APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE
LETTER NO. 991 DATED 14/09/2023

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

ENGINEER'S POINT
Branch Office:-Shop No. 62-63,
Near Head Post Office
Sriganganagar Road , Hanumangarh Jn
Mob.-80583-35789, 96676-48560

LAY-OUT PLAN OF RESIDENTIAL COLONY "CROWN CITY VII" CHAK NO. 50 N.G.C, MURBBA NO. 46, STONE NO. 127/254, KILA NO. 13(0.116), 14(0.153), 16(0.030), 17(0.253), 18(0.084), 23(0.084), 24(0.253), 25(0.096), = 1.069 HECTOR AT HANUMANGARH JN, DISTT:- HANUMANGARH (RAJ.)

Scanned with OKEN Scanner